P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-10* (Part-1) January 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

सड़क सुरक्षा–आपकी जिन्दगी

जगदीश प्रसाद मौर्य
एसोसियट प्रोफेसर,
भूगोल विभाग,
राजकीय कला महाविद्यालय,
दौसा

सारांश

सड़क एक प्रकार का आम रास्ता होती है जो कि दो गॉव, दो शहरों, कस्बों, जिलों व राज्यों को जोड़ती है। इन सड़कों के माध्यम से मानव वाहनों जिसमें मोटर वाहन, ट्रक, जीप, मोटर साईकिल, घोड़ा गाड़ियॉ, ऊॅट गाड़ियॉ, बैल गाड़ियॉ, साईकिलो तथा पैदल राहगीरो के सुविधापूर्वक आवागमन के लिए विकसित किया जाता है।

मुख्य शब्द : सुरक्षात्मक, जागरूकता, अप्राकृतिक, अनियन्त्रित, सम्पदा, ट्रैफिक, प्रतिष्ठा, अंधाधुंध।

प्रस्तावना

सड़क सुरक्षा एक प्रकार की विधि या उपाय है जिससे सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत, चोट लगने की घटनाओं को कम करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। सड़क का उपयोग करने वाले सभी मानव जिसमें पैदल चलने वाले, साईकिल, ट्रक, बस, कार या सार्वजनिक यातायात साधनों का उपयोग करने वाले शामिल है। केन्द्र तथा राज्यसरकार द्वारा यातायात सुरक्षा हेतु घटनाओं को देखकर कई रणनीति बनाई जाती है। वर्तमान में सड़कों के आस–पास के माहौल को देखकर वहॉ की वाहन की गति आदि को तय किया जाता है, ताकि मानव जीवन सुरक्षित रहे।

सड़क सुरक्षा मानव के लिए एक महत्वपूर्ण और आम विषय है, जो कि आम जनता में खासतौर पर नई युवा पीढ़ी के लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता लाने के लिए इसे शिक्षा, सामाजिक जागरूकता आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रो से जोड़ा गया है। सड़क पर वाहन चलाते समय (विशेष रूप से युवा वर्ग की) लोगों की गलतियों के कारण सड़क दुर्घटनाओं और सड़क किनारे लगी चोट के खतरे को कम करने के लिए पूरे विश्व में सड़क सुरक्षा पर सुरक्षात्मक कदम उठाये जा रहे है। हम सभी जानते हैं कि सड़क दुर्घटना, चोट और मृत्यु वर्तमान में दिनों–दिन बहुत ही आम हो चली है। सड़क पर ऐसी दुर्घनाओं की मुख्य वजह लोगों द्वारा सड़क यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी की बहुत अनदेखी है। सड़क सुरक्षा का अर्थ सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाना है, जिससे किसी तरह की जन हानि न हो व ड्राईवर के द्वारा सड़क पर चलने वाले वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुॅचे।

चिंता का विषय क्यों ?/सड़क सुरक्षा उपाय की आवश्यकता क्यों ?

1. प्रति वर्ष 5 लाख लोग घायल और 1.42 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते है तथा भारत जैसे देश में प्रतिदिन 400 लोगों की मृत्यु हो जाती है।
2. प्रति वर्ष राजस्थान में 10,000 लोगों की मृत्यु और 23,000 लोग घायल हो जाते है।
3. सन् 2020 तक भारत में अप्राकृतिक रूपसे होने वाली मौत के कारणों की सारणी में सड़क दुर्घटनाओं का क्रम तीसरा हो जायेगा, जो 1990 में नवां स्थान था।
4. जीवन सुरक्षा सभी की प्राथमिकता होती है। माता–पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर हर समय चिन्तित रहते है। विषेष तौर पर युवाओं की दुर्घटना की चिंता हर वक्त बनी रहती है।
5. केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में सड़क हादसों की रिपोर्ट जारी करते हुए भारत में सड़क हादसे 2016 में पिछले वर्ष की तुलना में 4.1 फीसदी गिरावट आई। मगर मृत्यु दर में 3.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई।
6. देश में पिछले साल कुल 4 लाख 80 हजार 652 सड़क हादसें हुए है। जिनमें 1 लाख 50 हजार 885 लोगों की मौत हो गई और घायलों की संख्या 93 हजार 624 थी।
7. भारत में सड़क हादसों में सबसे अव्वल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान है। इसके बाद चेन्नई का स्थान आता है।

8. श्री नितिन गडकरी ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा है कि देश के 13 राज्यों में 86 फीसदी सड़क हादसे होते है, ये राज्य इस प्रकार से है– तमिलनाडू, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र।
9. भारत में प्रत्येक मिनट पर एक सड़क दुर्घटना होती है और प्रत्येक 3 मिनट में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है।

भारत मे सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौंरा

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओ की कुल संख्या	सड़क दुर्घटनाओ में मृत व्यक्तियों की संख्या	सड़क दुर्घटनाओ में घायल व्यक्तियों की संख्या
2010	499628	134513	527512
2011	497686	142485	511394
2012	490383	138528	509667
2013	443001	137423	469882
2014	450898	141526	493474
2015	516000	146000	500279
2016	480652	150885	93624

स्रोतः–परिवहन विभाग भारत सरकार

वर्तमान में नियमों में संशोधन करते हुये सड़क हादसों में जख्मी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल (सरकारी एवं गैर सरकारी) में भर्ती कराने वालों से न तो चिकित्सक पूछताछ करेंगे और न ही पुलिस यानी नाम व पता बताने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जायेगा बल्कि अब उसें सरकार द्वारा 2000 रू0 ईनाम देय का प्रावधान होगा। (फरवरी 2018 की न्यूज)

राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओ का ब्यौरा

वर्ष	राजस्थान में कुल दुर्घटनाएँ	मृत्यु	घायल	दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी या कमी	घायलों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी	मृत्यु की संख्या में बढ़ोतरी या कमी
2013	23592	9724	27424	+623	−711	+196
2014	24628	10289	27453	+1036	+29	+565
2015	24072	10510	26153	−556	−1300	+221
2016	23066	10465	24103	−1006	−2050	−45
2017	22037	10444	22071	–	–	–

स्रोतः–परिवहन विभाग राजस्थान सरकार (सेन्टर फोर रोड़ सेफ्टी,जयपुर)

राज्यों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं की स्थितिः

राज्य	जनवरी से सितम्बर 2016	जनवरी से सितम्बर 2017	परिवर्तन	परिर्वतन प्रतिशत में
महाराष्ट्र	9767	8960	.807	-8.3
गुजरात	6168	5393	.775	-12.6
कनार्टक	8371	7640	.731	-8.7
पश्चिम बंगाल	5225	4508	.717	-13.7
पंजाब	3607	3086	.521	-14.4
तेलगांना	5458	4934	.524	-9.6
बिहार	3733	4111	378	10.1
कुल राज्य	113890	108887	.5003	-4.40

स्रोतः–टाईम्स ऑफ इण्डिया, न्यू देहली, नवम्बर 2017

सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले दुष्परिणाम या प्रभाव

सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से होने वाली गम्भीर चोटो को सड़क दुर्घटनाओं की श्रेणी मे माना जाता है।अधिकतर सड़क हादसे मानव की अज्ञानता की वजह से नही होते बल्कि उसकी घोर लापरवाही, अधिक आत्मविष्वास, अनियन्त्रित तेज गति, विचलित मन के कारण भी होते है। सड़क दुर्घटनाएँ ओर भी कई वजहो से होती रहती है। जिसका मानव के जीवन व परिवार, समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

सामाजिक प्रभाव

1. सबसे प्रथम प्रभाव तो परिवार पर पड़ता है जैसे–मुखिया की सड़क हादसे मे मौत हो गई तो उसका पूरा परिवार विचलित हो जाता है।
2. जिस परिवार में एक पुत्र हो और उसकी सड़क दुर्घटना में ही मौत हो जाती है तो माता–पिता की (वृद्धावस्था) सेवा से वंचित हो जाते है और उन वृद्धो की दुर्गति होती है।

3. गरीब परिवार में मुखिया व इकलौता पुत्र की मृत्यु हुई है तो परिवार पूर्ण रूप से सड़क पर ही आ जाते है यानि वह सड़क पर ही मरा और परिवार भी सड़क पर ही आ गया।
4. दुर्घटना में घायल व्यक्ति विकलांग की मानसिकता का प्रभाव

आर्थिक प्रभाव

1. उत्पादकता में कमी व आर्थिक हानि।
2. भारतीय सम्पदा का 1.3 प्रतिशत तक का नुकसान।
3. मेडिकल एवं स्वास्थ्य खर्चा।
4. प्रशासनिक व कानूनी खर्चा।
5. किसी प्रोपर्टी या वाहन का नुकसान।

सड़क दुर्घटना होने के प्रमुख कारण

सड़क हादसे होते नही बल्कि उनके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है, जिससे सड़क दुर्घटना को अंजाम मिलता है।

वाहन चालकों में सड़क सुरक्षा शिक्षा की कमी

आज भी हमारे देश में वाहन चालको की शिक्षा में काफी कमी है। वाहन चालकों को 18 वर्ष की आयु में ट्रैफिक नियमों की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह वाहन चालक के रूप में अपने व्यवहार व आदतों को अपने में शामिल कर सके। ट्रैफिक नियमो की शिक्षा के अभाव में वाहन चालक कई बार गलतियॉ कर बैठते है जिससे सड़क दुर्घटनाऍ होती है।

सीट बैल्ट व हेलमेट का उपयोग न करना

वाहन चलाते समय हमेशा सीट बैल्ट व हेलमेट का ही प्रयोग करे। सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया है जिसमें चार पहिये वाले वाहन (कार, जीप व अन्य) चलाते समय शीट बैल्ट तथा दुपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का अधिकतर उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग नही करने वालो को सजा या जुर्माना भी हो सकता है। सड़क दुर्घटना होने पर अधिकतर मौत सिर पर गम्भीर चोट लगने के कारण होती है। दुपहिया वाहन चालक ने अगर हेलमेट सिर पर लगा रखा है तो उसके सिर पर लगने वाली चोट को कम करता है एवं सीट बैल्ट लगाने से वाहन से लगी चोट का प्रभाव कम होता है। जिन बडे शहरो में सीट बैल्ट व हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है। वहॉ मृत्यु दर में काफी गिरावट देखने को मिलती है और राष्ट्रीय मार्ग, राज्य, जिला, तहसील मार्गो पर मृत्यु दर का आँकडा ज्यादा देखने को मिलता है। हमेशा अच्छी क्वालिटी के हेलमेट पहनने से सड़क दुर्घटना से अपनी अमूल्य जिंदगी को बचा सकते है।

तेज गति से वाहन को चलाना

आज का युवा अधिकतर तेज गति से या घुमा फिराकर या फिल्मी अंदाज में वाहन चलाता है जिससे इस दुनिया में 22 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाऍ होती है। ज्यादातर युवा (18 वर्ष से 35 वर्ष) तेज गति से वाहन चलाने के दुष्परिणाम नही समझे है। तेज गति से वाहन चलाने से ब्रेक लगाने पर रूकने में ज्यादा समय लगता है जिससे दुर्घटना होने का खतरा ज्यादा बढ जाता है। तेज गति से लगी चोट कम गति वाहन की चोट से ज्यादा घातक होती है।

नशे में वाहन चलाना

आज का युवा अधिकतर शांम के समय किसी सामाजिक समारोह,दोस्त पार्टी, पारिवारिक मानसिक तनाव आदि के कारण शराब पीकर वाहन का उपयोग करता है जिससे वाहन चालक का अपने पर नियंत्रण नही हो पाता है। जिस कारण इस दुनिया में 18 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाऍ होती है। अधिकतर इस प्रकार की दुर्घटनाए शांम को 6 बजे से 11 बजे के मध्य मे ही होती है।

वाहन में खराबी होने पर

अधिकतर मानव की एक आदत सी हो गई है कि मानव समय पर अपने वाहन की सर्विस नही कराता है, जिससे वाहन में ब्रेक फेल होना, टायरो का ढ़ीले होना, पंचर होना या पुराने टायरें नही बदलवाना इन की खराबियों के कारण ड्राईवर का वाहन पर कन्ट्रोल नही रह पाता है जिससे सड़क दुर्घटनाऍ हो जाती है जिसका उसे परिणाम भुगतान पड़ता है।

कड़े कानून की कमी

हमारे देश में यातायात नियमों को सख्त बनाने की आवश्यकता है। लोगों को ट्रैफिक पुलिस का कोई भय नही होता है, नियम तोड़ने वालो पर सख्त सजा का प्रावधान नही होने से लोग अपनी मनमर्जी करते है। लोग यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस चालान से बचने हेतु किसी राजनेता, अधिकारी का तुरन्त फोन करवाते है ताकि वह चालान या जुर्माने से बच सके। लोग अपने प्रभाव या अन्य तरीका काम में लेने में अपनी प्रतिष्ठा मानते है।

अन्य कारण

सड़क दुर्घटनाओं में हमारे वातावरण का प्रभाव भी चालक पर पड़ता है जो सड़क हादसों को न्योता देते है जो इस प्रकार है जैसेः–

1. मवेशियों (जैसे–नीलगाय, गाय, सूअर व अन्य) का सड़क पर घूमना या बैठना
2. बच्चों का सड़क पर दौड़ना।
3. बैलगाड़ी, पदयात्री छोटे साधनों की गलतीः–खेतीहर किसानों द्वारा किसान बुग्गा जैसे–असुरक्षित वाहनो का इस्तेमाल करना।
4. वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना तथा खराब सडको का होना।
5. विज्ञापन व सूचना पट्टो का प्रचार–प्रसार न होना
6. वाहन चालक का ट्रैफिक से ध्यान हटना।
7. स्टीरियो की सैटिंग बदलना, शीशे समायोजित करना।
8. वाहन चालक द्वारा तेज गति से घुमाव पर या पुल पर ऑवरटेकिंग करना जिससे कि सामने से आने वाले वाहन को नही देख पाना।
9. गलत दिशा से वाहन का आना। यातायात नियम–''सावधानी हटी, दुर्घटना घटी''
10. वाहनो का ऑवरलोडिंग चलना या छोटे साधन (जीप, किसान बुग्गा, ट्रैक्टर) में वाहन की क्षमता से अधिक सवारी बिठाना जिससे सन्तुलन खराब हो जाता और घटना को अंजाम मिलता है।

11. दुपहियॉ वाहनो पर पिछे बैठी महिला को अपनी साड़ी, लूगड़ी, दुप्पट्टा आदि को सही तरीके से समेटकर नही बैठने से सड़क दुर्घटना की संभावना होती है क्योकि साडी व लूगड़ी, दुप्पट्टा पिछले टायर में फॅस जाती है।
12. पहाड़ी क्षेत्र जहॉ पर ज्यादा घुमावदार सड़कहोने के कारण चालक निर्धारित गति केअनुसार ड्राईविंग नही करता।
13. समय पर सड़क की सफेद पट्टी की पुताई को ठीक नहीं करना।

सड़क दुर्घटनाओं को होने से रोकने के उपाय

बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत जैसे देश के लिए एक सामाजिक चिन्ता का विषय है। इसके कारण से काफी बड़ी संख्या में जन हानि तथा आर्थिक नुकसान हो रहा है। हम जानते है कि मानव की विलासिता की आवश्यकता के कारण भारत में चौपाया व दुपहिया वाहनों की बिक्री दिनो–दिन तेजी से बढ़ रही है। वाहनो की संख्या ज्यादा होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौते भी बढ़ रही है जिसका ऑकड़ा ओसतन लगभग 1.38 लाख प्रतिवर्ष है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट द्वारा बताया जाता है कि इन सड़क दुर्घटनाओं की मुख्य वजह बुनियादी ढांचा, अंधाधुंध ड्राईविंग है। जैसा कि विश्व भर में 13 मिलियन लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते है तथा 20–50 मिलियन लोग घायल हो जाते है। भारत व चीन में सबसे ज्यादा संख्या में मौत होती है। वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस प्रकार सरकार द्वारा व हमारे द्वारा यातायात नियमो का पालन हो जिसके द्वारा हमें निम्नलिखित उपायो का पालन करना चाहिए जिससे सड़क दुर्घटनाऍ कम से कम हो।

उपाय

सड़कों की इंजिनियरिंग

सड़कों की बनावट में ट्रैफिक इंजिनियरिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिसमें सड़क सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डो को ध्यान रखना होता है जैसे– पैदल चलने वाले लोगों की व्यवस्था, ट्रैफिक का विभाजन, ओवरब्रिज तथा पुलो का निर्माण, जंक्शन का विकास, यातायात चिन्हो का लगाया जाना, सुरक्षा के मापदण्ड ट्रैफिक/सड़क सुरक्षा ऑडिट आदि इन सभी को इंजिनियर्स की देखरेख में होना आवश्यक है। ताकि सड़क दुर्घटनओं को रोका जा सके।

वाहनों की इंजिनियरिंग

वर्तमान व भविष्य में वाहनों को एक इंटेलीजेंट मशीन के रूप में परिवर्तित करना जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। वर्तमान वैज्ञानिक युग में अलग–अलग स्थानो व परिस्थितियों के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकना तथा उसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। भविष्य में जो भी वाहन बने तो उसमें आधुनिक उपकरणों का निर्माण करना होगा जैसे– एबीएस (एंटीलाकिंग ब्रेकिंग सिस्टम), इलेक्ट्रिोनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), इलेक्ट्रो मेग्नेटिक कंपेटिबिलिटी (ईएमसी), चाईल्ड रिस्ट्रेड, हाईब्रिड व्हीकल, व्हीकल अलार्म सिस्टम आदि। GPS सिस्टम का वाहन में होना चाहिए जिससे कि वाहन चालक की गतिविधियो (जैसे शराब, तेज गति, नियम) का पता चल सके।

मोटर वाहन एक्ट 1998 में बदलाव होना चाहिए

सरकार द्वारा काफी लम्बे समय से चल रहे मोटर वाहन अधिनियम को सख्ती से लागू करना होगा हालांकि इस पुराने एक्ट में बदलाव करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है जो इस प्रकार से हैः–

ट्रैफिक नियम तौड़ने पर अब 10 गुना जुर्माना देना होगा वाहन चालक को साथ ही 3 माह के लिए लाईसेंस रद्द होगा। दिनांक 11.03.2018 के आदेश।

वाहन चालक	पहले	अब
बिना लाईसेंस	500	10000
तय सीमा से तेज रफ्तार	400	1000
शराब पीकर ड्राईविंग	2000	25000
बिना सीट बैल्ट	100	1000
बिना हैलमेट	100	1000
बिना प्रदूषण कार्ड वाहन	–	1500
बिना मूल कागज	–	5000
मोबाईल पर बात करना	–	5000

नाबालिंग के दुर्घटना करने पर बच्चे के माता–पिता दोषी होंगे। साथ ही 25 हजार रूपये के साथ 3 साल की सजा का प्रावधान।

उक्त नियमों मे तो बदलाव हो गया लेकिन स्थानीय यातायात पुलिस द्वारा बिना किसी राजनैतिक/प्रशासनिक दबाव को देखकर सख्ती से लागू करे और वाहन चालक पर जुर्माना करना होगा। तभी सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकेगी।

ड्राईविंग लाईसेंस

वाहन चालक को यातायात विभाग द्वारा लाईसेंस देने से पूर्व उसको अच्छी तरह से सड़क सुरक्षा व ट्रैफिक नियमों की जानकारी (ट्रैनिंग 5 दिन की) देनी चाहिए ताकि वो पूरे नियमो के बारे में जान सके। साथ ही टेस्ट लेने की प्रक्रिया भी प्रभावी व आई.टी. आधारित होनी चाहिए।

वाहनों में जी पी एस लगाना

वाहन चाहे बड़ा हो या छोटा तीव्र गति से चलाना व खतरनाक ड्राईविंग करना आम बात है। निर्माण कम्पनी के द्वारा वाहन में जी पी एस सिस्टम लगाने से वाहन चलने का स्थान ड्राईवर नशे मे है या नही उसका पता लगाना, गति का पता आसानी से लग सके, साथ ही ड्राईविंग में गलती कर रहा है तो जुर्माने की राशि बैंक खाते से काट ली जावे।

वाहनो में रेडियो फिक्वेंसी आईडेन्टीफिकेशन (RF1D) प्लेट के साथ अनिवार्य कर देना चाहिए।

इमरजेन्सी केयर (मेडिकल सुविधा को बढ़ावा)

सड़क दुर्घटना होने के बाद पीड़ित व्यक्ति के लिए एक घण्टा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भारत में हर चार मे से एक की सड़क दुर्घटना में मौत होती है। समय रहते हुए अगर वहॉ पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा मेडिकल

टीम या यातायात पुलिस को सूचना करनी चाहिए ताकि उन व्यक्तियों को तुरन्त मेडिकल सुविधा मिले। पीड़ित व्यक्ति की जान को बचाने के लिए सरकार को हर 15–20 किमी के अन्तराल से हाइवे पर इमरजेंसी (एम्बूलेंस सुविधा) सेवाओं में सुधार करने की काफी जरूरत है। जिससे दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति की जान को 80 प्रतिशत तक बचाया जा सके।

जब भी सड़क दुर्घटना होती है तो आस–पास क्षेत्रो/शहरो में अच्छी चिकित्सा सुविधा न होने, छोटे अस्पतालो में डाक्टरो व संसाधनो की उपलब्धता में कमी, स्टॉफ की कमी, अच्छी मोनिटरिंग का अभाव होता है सरकार को इनके प्रति काफी गम्भीर (सजक) होना होगा जिससे मौतो में कमी हो सके।

वातावरण मे बदलाव का होना

जब भी कोई वाहन चलाना है तो वहॉ की सड़क का वातावरण सही तरह का होना चाहिए ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। सरकार द्वारा वाहन चालक को प्रभावित करने वाले कारक जैसे–सड़क पर आने वाले मवेशी या जानवरो का आना, पदयात्री, विज्ञापन होडिंग आदि समस्याओं का उपाय/निवारण होना चाहिए। ताकि वाहन चालक बिना किसी व्यवधान के ड्राईविंग कर सके। सड़क दोनो तरफ कम से कम 10 फीट का चौड़ा पक्का रोड़ होना चाहिए ताकि छोटे वाहन वहॉ से गुजर सके।

रोड़ सेफ्टी क्लब की स्थापना करना

सरकार द्वारा प्रत्येक सरकारी/प्राईवेट स्कूल व कॉलेजो में एक रोड़ सेफ्टी क्लब की स्थापना करनी चाहिए जिसमें ट्रैफिक वार्डन, शिक्षक अभिवाहक तथा छात्र शामिल हो जो समय–समय पर यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के दिशा निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा में भागीदारी निभाये।

वाहन चालको पर लाउड स्पीकर बजाने पर रोक

अधिकत्तर ग्रामीण क्षेत्रों व हाइवे पर टैक्टर चालक, जीप चालक जोर–जोर से वाहन चलाते समय लाउडस्पीकर बजाते है जिससे पिछे से आ रहे वाहन की आवाज व संकेत नहीं सुनता है जिससे सड़क हादसे होते है। सरकार को इस पर पूर्ण पाबन्दी लगानी चाहिए और ऐसे वाहन चालको पर 2000रू का जुर्माना करना चाहिए।

अन्य

1. प्रत्येक स्कूल मे कम से कम दो शिक्षक सड़क सुरक्षा के बारे में विषेष ज्ञान रखने वाले होने चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र धारक हो ताकि वे सड़क सुरक्षा के बारे में समय–समय पर शिक्षा दे सके।
2. सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमो व शिक्षा को उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ना आवश्यक है।
3. टेलीविजन पर डॉक्यूमेन्टरी जागरूकता का प्रसारण करना चाहिए।
4. शिक्षण संस्थाओं के गेट के सामने अगर सड़क गुजर रही है तो वहॉ पर स्पीड ब्रेकर होने चाहिए।
5. वाहन चलाते समय शराब, ईयरफोन (मोबाइल) या कोई अन्य दूसरे यन्त्र का प्रयोग नही करना।
6. सड़क/फुटपाथ पर चलते समय बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए साथ ही माता–पिता को हाथ पकाड़कर चलना चाहिए।
7. पैदल चालक को सड़कों के नियमो की पालना करनी चाहिए जैसे–जेबरा क्रोसिंग, क्रॉसवॉक का उचित प्रयोग करे।
8. मौसम तथा सड़क के हालात के अनुसार वाहन को सुरक्षित चलाना, समय–समय पर हार्न का प्रयोग करें।
9. सड़क पर लगे यातायात नियमो के लगे बोर्ड/निशान का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए तथा लाल, हरी, पीली बत्ती को समझना।
10. गुणवत्ता वाले (नं. 4151 माको) हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए
11. वाहन चालक को सड़क के घुमाव, चौराहा, पहाड़ी आदि क्षेत्रो में गाड़ी की गति धीमी रखनी चाहिए।
12. सड़क पर चलने वाले को अपने बॉये तरफ चलना चाहिए और दूसरी तरफ से आ रहे वाहनो को जाने देना चाहिए।
13. वाहनो को निश्चित दूरी बनाकर रखना चाहिए।
14. ब्रेक, हार्न, स्टीयरिंग या हैंडल टायर–ट्यब आदि के कार्य को समय–समय पर मिस्त्री या कम्पनी में जॉच करवाना चाहिए।
15. समय–समय पर क्वालीफाईड ऑडिट से सड़कों की ऑडिट करवाई जावें
16. यूनिवर्सल हेल्प लाइर्न नम्बर 108 व 100 का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। जिससे घायल तक एम्बुलेंस जल्द से जल्द पहुंच सके।
17. राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए स्पेशल पेट्रोल फोर्स का गठन किया जावे साथ ही 5 कि.मी. या इससे अधिक की नई सड़कों में डिजाईन का ध्यान रखा जावें।
18. बुलबार्स/बंपर गार्ड लगाने पर पूर्ण पाबन्दी होनी चाहिए।

कनार्टक सरकार ने हाल ही में मोटर साईकल पर दो तीन सवारी के स्थान पर एक व्यक्ति की सीट वाली मोटर साईकिले 100 सी.सी. तक पर दो की रोक लगायी है। (राजस्थान पत्रिका न्यूज 23.10.2017)

पिछले 10 वर्षो से सड़क दुर्घटनाओ से होने वाली मौतो में 42.5 फीसदी का इजाफा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि भारत में सड़क दुर्घटनाओ को रोकने के लिए अगर तत्काल ठोस कदम नही उठाए गए तो सन् 2030 तक दुनिया में भारत का रोड़ एक्सीडेंट में मारे गये लोगों में पॉचवा बड़ा कारण बन जाएगा। सर्वे से इस बात का भी पता चला कि भारत में लगभग 60 फीसदी लोग वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते है। 14 फीसदी लोग ऐसे भी है जो पैदल चलते समय मोबाइल का उपयोग करते है।

सारणी– सडक दुर्धटनाओं के वो कारण जिनके लिए हम जिम्मेदार है

	शराब	ओवरस्पीड	नींद	रॉन्ग साइड	मेबाइल	ओवरटेक
एक्सीडेंट	673	13358	222	981	85	1345
मौत	372	6242	66	365	55	601
घायल	716	13883	159	1068	126	1378

स्रोतः दैनिक भास्कर 10.09.2017

साल से कम पुराने वाहनों से सबसे ज्यादा मौते

	5 साल	5–10	10–15	15 +	पता नही
एक्सीडेंट	10934	8179	2920	1009	24
मौत	4964	3730	1296	458	17
घायल	11508	8489	3023	1062	21

कहॉ हुए कितने हादसे और कितनी मौते

	टी. पॉइन्ट	वाई पाइन्ट	चौराहा	सर्किल
एक्सीडेंट	1783	596	830	368
मौत	786	232	235	89
घायल	1722	562	838	361

सड़क दुर्घटना स्थल पर मानव का कर्त्तव्य

सड़क दुर्घटनाओ के समय अक्सर विभिन्न परिस्थितियॉ देखने को मिलती है। इसमे पीड़ित को श्वसन में परेशानी, सॉस व दिल का काम करना बन्द होना, खून का बहना, अस्थिभंग, शरीर का जलना इत्यादि प्रमुख है।

प्राथमिक कार्य

1. जहॉ पर सड़क दुर्घटना होती है वहॉ पर भीड़ को इक्कट्ठा नही होने दे।
2. तत्काल एम्बुलेंस जैसे–108 व 100 पर फोन/सूचना दे लेकिन घटना स्थल की पूर्ण जानकारी एम्बुलेंस को देनी होगी।
3. घायल व्यक्ति को कभी भी पानी नही पिलाये
4. घायल व्यक्ति को जमीन पर सीधा लिटाये फिर उसको हवा करे।
5. जब तक घटना स्थल पर एम्बुलेंस नही आये तब तक उनको अकेला नही छोडे।

सडक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य

बढते सडक हादसों में कमी लाने के लिए वहान चलाते समय मोबाईल पर बात करने वाले, नषे में, तेज गति से, ओवर लोडिग, भारी वहान में सवारी और सिंगनल का उल्लंघन करने वालों सहित विभिन्न प्रकार के यातायात नियमों को तोडने वालो को सबक सिखाना है।

निष्कर्ष सुझाव

1. सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्यो को केन्द्रीय कोष के एक हिस्से का इस्तेमाल करना चाहिए और दुर्घटनाओ वाली जगहो की मरम्मत करवानी चाहिए।
2. रक्षा बंधन व भैया दौज पर बहिन को अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र के साथ–साथ एक शपथ भी दिलानी चाहिए कि भाई हमेशा वाहन चलाते समय हेलमेट व शीट बैल्ट का प्रयोग करे या बहिन का कर्त्तव्य ये होना चाहिए कि मिठाई के स्थान पर भाई को हेलमेट देना चाहिए।

सड़क दुर्घटना मानव द्वारा निर्मित एक तरह की आपदा है। जो वर्तमान समय में एक अभिशाप बन गई है। जो प्रतिवर्ष लाखो लोग अकाल मृत्यु का ग्रास बन रहे है। मानव स्वयं की घोर लापरवाही से ज्यादातर सड़क दुर्घटनाऐं घटित हो रही है। यातायात नियमों की पालना नही करना सड़क दुर्घटनाओ को आमन्त्रित करने का सबसे बड़ा कारण है। यदि सभी लोग एकजुट होकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे तो असमय होने वाली अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। इसमें सभी की सामुहिक साझेदारी की आवश्यकता है।

3. आज देश में ना तो कानून का सम्मान है और ना ही डर है। राज्य सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए। सरकार द्वारा सड़क हादसे रोकने के लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जावे। जिसमें स्थानीय सांसद, विधायक, जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कॉलेज व स्कूल के प्राचार्य सहित समाज के प्रमुख लोग शामिल हो। वे प्रतिमाह नियमित बैठक कर सड़क की स्थितियों में सुधार के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करें। रिपोर्ट के मुताबिक इन हादसों की सबसे बड़ी वजह ड्राईवरों की गलती होती है। गति सीमा को पार करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ऑवर टेकिंग और मोबाईल पर बात करते हुये गाड़ी चलाना कुछ ऐसी गलतियां है जिनसे बड़ी संख्या में सड़क हादसे हो रहे है। कुल सड़क हादसों में 84 फीसदी हादसों के पीछे ड्राईवरों की गलती होती है। इसे प्रशासन व आम जनता को रोकना है।

सड़क सुरक्षा शपथ

मैं ..... यह शपथ लेता/लेती हूॅ कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सड़क सुरक्षा सम्बन्धी बातो का ध्यान रखूॅगां/रखूॅगीं तथा सड़क या यातायात नियमो का हमेशा पालन करूॅगा/करूॅगी। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपयोग कर्त्ताओ की सुरक्षा का ध्यान रखूॅगां/रखूॅगी। मैं समर्पित

भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूॅगा/करूॅगी तथा दुसरो को शिक्षित एवं जागृत करने के लिए प्रेरित करूॅगा/करूॅगी।

जय हिन्द जय भारत

महत्वपूर्ण स्लोगन

1. हर एक शिक्षक बांधे ये गॉठ।
   बच्चों को पढ़ायेगें यातायात नियमो के पाठ।।
2. आपका सिर है सबसे नाजुक
   हेलमेट का कर उपयोग
   यातायात नियमों में करे सहयोग।।
3. वाहन चलाते अगर मोबाइल पर करते हो बात ।
   तो अपनी मौत को अंजाम देते हो अपने आप।
4. वाहन हमेशा धीमा चलाये।
   अपना अमूल्य जीवन बचाये।।
5. मत चलाओ शराब पीकर अपना वाहन।
   वरना पूरा जीवन तथा परिवार हो जायेगा अपना बरबाद।।
6. वाहन चलाते मत करो इतनी मस्ती।
   क्योकि आपकी जिन्दगी इतनी नही है सस्ती।।
7. यातायात नियमों का करो सम्मान।
   न होगी दुर्घटना न होगें आप परेशान।।
8. जिन्दगी को न करो परेशान।
   ट्रैफिक नियमो का करो सम्मान।।
9. खुशहाल जीवन है अगर बिताना।
   तो सड़कसुरक्षा के नियमों को जरूर अपनाना।।
10. वाहन चलाते समय हमेशा
    सीट बैल्ट व हेलमेट का प्रयोग करे।।
11. यातायात नियमो से जो नाता तोड़ेगा।
    वह एक दिन इस दुनिया को छोड़ेगा।
12. आप कीजिये अपनी रक्षा।
    तभी होगी आपकी और परिवार की सुरक्षा।।
13. सड़क दुर्घटना से है अगर बचना।
    ते हमेशा हेलमेट पहने रखना।।
14. जल्दीबाजी तो है अपनी ज्ञान की बली।
    दुर्घटना से है देर भली।।
15. आगे तभी होगा अपना सारा काम।
    जब होगा वाहन सुरक्षा पर हमारा ध्यान।।
16. वाहन चलाते अगर आपकी नजर हेटेंगी।
    तो दुर्घटना जरूर घटेगी।।
17. यातायात नियमो का करे पालन।
    कभी ना करे उनका उल्लंघन।।
18. मोबाइल पर आपको करनी है बात।
    तो वाहन को साइड में ही करके करे बात।।
19. सड़क सुरक्षा–परिवार की रक्षा, सड़क सुरक्षा पर ध्यान दें।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *Baluja, Rohit, Enforcement A key Component for Traffic Management in Developing Countries India, Regional Health Forum Volume8, Number 1, 2004 Page 64-67.*
2. *Gururaj, G., Road Safety in India: A Framework for Action, National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Publication No 83, Bangalore.*
3. *Dr. Gupta, Shakti Kumar, (Chairman) Report of the Working Group on Emergency Care in India, Head, Dept of Hospital Administration, AIIMS, New Delhi.*
4. *Jaln, A,K. Evolving a Parking Policy for Delhi Urban Transport Journal, New Delhi;*
5. *Kar, Kohinoor, an Overview of Mobility and Safety issues Related to Highway Transportation in India.*
6. *Misra, S.K, Road Safety in India, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Govt. of India.*
7. *Moha, Dinesh. The Road Ahead: Traffic Injuries and Fatalities in India.*
8. *Mohan, Dinsh. The Road Ahead: Traffic injuries and Fataliities in India, Transportation Research and injury Prevention Programme, India Institute of Technology, Delhi. Page 1-30*
9. *Mohan, Dinesh, Road Safety In India, Challenging and Opportunities, UMTRI, University of Michigan.*
10. *Petrus, Rachel, The Development of New Zealand's Road Safety Strategy, 2010, and Transport Safety Authority, New Zealand, Page 1-7.*
11. *Sigh, Sanjiy Kumar, and Ashish, Misra, Road Accident Analysis: A Case Study of atna City, Urban Transport Journal 2 (2) 60-75.*
12. *Uddinhas, Azeem, Traffic Congestion in Indian cities: Challenges of a rising Power, Kyoto of the cities, Naples Mar 26-28, 2009.*
13. *Road Safety Is No Accident, Hon'ble Minister for Road Transport and Highways Government of India.*
14. *Centre for road Safety – SPU of P.S & Criminal Justice Jodhpur*